(366)

संख्या–/289 /VI-2/2011–71(6)2011

प्रेषक,

एस0एस0 वल्दिया,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 20 दिसम्बर, 2011

विषयः– पुनर्विनियोग की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2448/सं0नि0उ0/दो–3/2011–12 दिनांक 28 नवम्बर, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ₹16.00 लाख (₹ सोलह लाख) मात्र की धनराशि संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से, आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि, मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। पूर्व जारी शासनादेशों एवं अन्य निर्धारित नियमों के दृष्टिगत कहीं कोई विसंगति की स्थिति संज्ञान में आती है, तो तंत्काल प्रकरण पर शासन का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये।

3– धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जाय। धनराशि का आहरण/व्यय लम्बित बीजकों के नियमानुसार पुष्टि एवं कालातीत बीजकों के सम्बन्ध में नियमानुसार यथा अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण होने पर वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।

4– उक्त आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना बी0एम0–13 पर प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

5– धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निदेशों का कड़ाई से अनुपालन

किया जाय। सामग्री क्रय के संदर्भ में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6– उक्त धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 2205–कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–37–स्पर्श गंगा कार्यक्रम का आयोजन–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मानक मद के आयोजनागत पक्ष में संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्र के कॉलम–1 में इंगित बचतों से वहन किया जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–333 (P)/XXVII(3)/2011–12 दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस वल्दिया)
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या/209 /VI-2/2011–71(6)2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेज़री, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस वल्दिया)
उप सचिव।

आय–व्ययक प्रपत्र–15
पुनर्विनियोग 211–12
प्रशासनिक विभाग– संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड शासन

नियंत्रक अधिकारी– निदेशक, संस्कृति निदेशालय।
संख्या–
आयोजनागत

देहरादून दिनांक दिसम्बर, 2011
(धनराशि हजार ₹ में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधि व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुदान संख्या– 11 2205–कला एवं संस्कृति–00 19– सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का क्रय–00 42– अन्य व्यय 2000	–	400	1600	अनुदान संख्या–11 2205–कला एवं संस्कृति–00 102– कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन 37– स्पर्श गंगा कार्यक्रम का आयोजन–00 20– सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता 1600	4100	400	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु मांग की अपेक्षा कम आवंटन होने तथा प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि आवंटन न होने के फलस्वरूप स्पर्श गंगा बोर्ड, उत्तराखण्ड, देहरादून में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को माह सितम्बर, 2011 से वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। वेतन भुगतान हेतु ₹ 14.00 लाख तथा जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु ₹ 2.00 लाख अर्थात कुल अतिरिक्त धनराशि ₹ 16.00 लाख (₹ सोलह लाख) मात्र की पुनर्विनियोग के माध्यम से नितान्त आवश्यकता है।
2000	–	400	1600	1600	4100	400	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनअल के परिच्छेद 150, 155, 156 में प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(श्याम सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या– 333 (P) XXVII(3) 2011-12
देहरादून दिनांक– 19 दिसम्बर, 2011

पुनर्विनियोग स्वीकृति।

सेवा में,

महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन

संख्या– 1289 /VI-1-2/2011 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(श्याम सिंह)
अनु सचिव